

मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग


:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 14/6/2011

क्रमांक एफ 3-1/2007/56 : राज्य शासन द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत दी जाने वाली नागरिक सुविधाओं तथा शासकीय सेवाओं को प्रदाय करने हेतु संलग्न " परिशिष्ट-अ " में दी गई सेवाओं तथा उनसे संबंधित मूल्यों की दर का निर्धारण किया जाता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(अनुराग श्रीवास्तव)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
भोपाल, दिनांक 14/6/2011

क्रमांक एफ 3-1/2007/56

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, शासन के समस्त विभाग।
 2. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
 3. आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश, भोपाल।
 4. समस्त कमिश्नर /कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
 5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल।
 6. प्रबंध संचालक, समस्त निगम/मंडल,
 7. विशेष सहायक, मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
 8. मुख्य परिचालन अधिकारी, एमपी ऑन लाईन लिमिटेड, भोपाल।
 9. अनुभाग अधिकारी, फोल्डर हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु अग्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

ASOM (11)
19K

ANEXXURE 1: List of 39 Services under MP eDistrict Pilot Go Live

| सं.क्र. | सेवा का नाम | दर | | | टीप |
|---------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------|---|
| | | सी.एस.सी. संचालक | जिला ई.गवर्नेन्स सोसायटी | योग | |
| 1 | प्रमाण पत्र | | | | |
| 1.1 | मूल निवासी | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला ईगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा |
| 1.2 | जाति | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | तदेव |
| 1.3 | आय | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | तदेव |
| 1.4 | जन्म एवं मृत्यु | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | तदेव |
| 1.5 | विकलांगता | 10/- Rs. | 0/- Rs. | 0/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। |
| | | शोधयता | | | |
| 1.6 | रु 3.00 लाख से कम | 50/- Rs. | 50/- Rs. | 100/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 50/- में से रु 10/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला ईगवर्नेन्स सोसायटी रु 50/- में से रु 10/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा |
| | रु 3.00 लाख से अधिक | 100/- Rs. | 100/- Rs. | 200/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 100/- में से रु 20/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला ईगवर्नेन्स सोसायटी रु 100/- में से रु 20/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा |
| 2 | | समाजिक सुरक्षा | | | |
| 2.1 | | पेशन | | | |
| 2.1.1 | वृद्धावस्था | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला ईगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा |
| 2.1.2 | विधवा | 10/- Rs. | 0/- Rs. | 0/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। |
| 2.1.3 | विकलांगता | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला ईगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा |
| 2.2 | जन्मश्री बीमा योजना | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | तदेव |
| 2.2.2 | राहत सहायता योजना | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | तदेव |
| 2.2.3 | शहरी विकास अभिकरण | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | तदेव |
| 2.3 | स्वतंत्रता सेनानी मानदेय | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | तदेव |

| | | | | | |
|-----|---|----------|----------|----------|--|
| 2.4 | अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | तदेव |
| 3 | राजस्व न्यायालय प्रकरण | | | | |
| 3.1 | प्रकरणों को सूचीबद्ध करना (काज लिस्ट) स्थगन एवं अंतिम आदेश, | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सविस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा। नागरिक के निवास तक पहुंचाने के लिए सी.एस.सी. संचालक को रु 10/- की राशि देय होगी। |
| 4 | शासकीय देनदारी एवं वसूली | | | | |
| 4.1 | Issue of notices, track default loan processes and recovery of government dues | 20/- Rs. | 0/- Rs. | 0/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 20/- में से रु 4/- सविस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। |
| 4.2 | भूमि व्यपवर्तन कर की वसूली | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सविस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा |
| 4.3 | नजूल भूमि पर देय लीज, प्रबयाजी एवं भू-भाटक की वसूली | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सविस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा |
| 4.4 | लीज का नवीनीकरण | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सविस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा |
| 5 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली | | | | |
| 5.1 | नये राशन कार्ड जारी करना/राशन कार्ड की नकल ए.पी.एल., बी.पी.एल., ए.ए.वाई. | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सविस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा |
| 5.2 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित पते में परिवर्तन करना/प्रतिधारक के नाम को जोड़ना/हटाना | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सविस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा |
| 6 | सूचना का अधिकार अधिनियम/शिकायत | | | | |
| 6.1 | विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सविस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा |

| | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 6.2 | शिकायतों का पंजीयन, अनुश्रवण, निराकरण, अपील एवं अपील का निराकरण | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | (Note: उपरोक्त शुल्क निराकरण तक के लिए लागू होगा) |
| 7 लायसेंस | | | | | |
| शस्त्र लायसेंस | | | | | |
| 7.1 | 12 बोर, अनिर्धारित बोर (कृषि रक्षा) | 50/- Rs. | 50/- Rs. | 100/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 50/- में से रु 10/- सर्विस सेंटर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 50/- में से रु 10/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा |
| | 12 बोर, अनिर्धारित बोर | 100/- Rs. | 100/- Rs. | 200/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 100/- में से रु 20/- सर्विस सेंटर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 100/- में से रु 20/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा |
| | रायफल | 100/- Rs. | 100/- Rs. | 200/- Rs. | तदैव |
| | पिस्टल/रिवाल्वर | 100/- Rs. | 100/- Rs. | 200/- Rs. | तदैव |
| शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण एवं नकल जारी करना | | | | | |
| 7.1.1 | शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण | 25/- Rs. | 25/- Rs. | 50/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 25/- में से रु 7/- सर्विस सेंटर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 25/- में से रु 7/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा |
| | नकल जारी करना | 50/- Rs. | 50/- Rs. | 100/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 50/- में से रु 10/- सर्विस सेंटर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 50/- में से रु 10/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा |
| शस्त्र लायसेंस से संबंधित अन्य सेवाएँ नाम जोड़ना/विलोपित करना/शस्त्र विक्रय के लिए अनापति जारी करना/शस्त्र | | | | | |
| 7.1.2 | 12 बोर, अनिर्धारित बोर | 25/- Rs. | 25/- Rs. | 50/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 25/- में से रु 7/- सर्विस सेंटर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 25/- में से रु 7/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा |
| | रायफल | 50/- Rs. | 50/- Rs. | 100/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 50/- में से रु 10/- सर्विस सेंटर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 50/- में से रु 10/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा |
| | पिस्टल/रिवाल्वर | 50/- Rs. | 50/- Rs. | 100/- Rs. | तदैव |
| 7.1.3 | लायसेंस समर्पित करना | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | |
| 7.2 कृषि | | | | | |
| 7.2.1 | खाद, कीटनाशक, बीज लायसेंस जारी करना/नवीनीकरण/नाम जोड़ना और विलोपित करना | 50/- Rs. | 50/- Rs. | 100/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 50/- में से रु 10/- सर्विस सेंटर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 50/- में से रु 10/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा |

| लघु बचत एजेन्सी का लायसेंस | | | | | |
|----------------------------|---|----------|----------|-----------|---|
| 7.3 | | | | | |
| 7.3.1 | एजेन्सी का लायसेंस जारी करना/नवीनीकरण करना | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला ईगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा |
| 7.4 | | | | | |
| स्टाम्प वेण्डर लायसेंस | | | | | |
| 7.4.1 | स्टाम्प वेण्डर का लायसेंस जारी करना/नवीनीकरण करना | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | तदेव |
| 7.5 | | | | | |
| व्यवसाय | | | | | |
| 7.5.1 | सिनेमा/वीडियो पार्लर का लायसेंस बनाना एवं नवीनीकरण करना | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | तदेव |
| 7.6 | | | | | |
| अनुमतियाँ | | | | | |
| 7.6.1 | मेला आयोजित करने हेतु अनुमति जारी करना | 50/- Rs. | 50/- Rs. | 100/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 50/- में से रु 10/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला ईगवर्नेन्स सोसायटी रु 50/- में से रु 10/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा |
| 7.6.2 | लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए अनुमति जारी करना | 50/- Rs. | 50/- Rs. | 100/- Rs. | तदेव |
| 7.9 | | | | | |
| आबकारी | | | | | |
| 7.9.1 | विदेशी शराब की दुकान खोलने के लिए अनापति प्रमाण पत्र | 50/- Rs. | 50/- Rs. | 100/- Rs. | तदेव |
| 8 | | | | | |
| अधिलेख | | | | | |
| 8.1 | बी. 1/खसरे की नकल | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला ईगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा |
| 9 | | | | | |
| विवाह पंजीयन | | | | | |
| 9.1 | विवाह पंजीयन के लिए आवेदन | 10/- Rs. | 10/- Rs. | 20/- Rs. | तदेव |

Handwritten signature and official stamp of the District Collector, Jhansi.